कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-138/2017-18/

दिनांक : /04/2018

सेवा में,

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

पिथौरागढ़

विषय : जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ का वर्ष 02/2014 12/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 04 प्रस्तर तथा STAN मे 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 138/2017-18/ दिनांक: /04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी गढ़वाल, जनपद- पौड़ी, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़, जनपद- पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 138 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रभाकर दुबे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10/02/2014 से 18/02/2014 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 4/2011 से 01/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -

1.जनसंख्या–
2.निर्वाचित सदस्यों की संख्या–
3.आयोजित बैठकों की संख्या–
4.उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या–
5.कर्मचारियों की संख्या–18
6.इकाई की सम्पत्तियां–
7.इकाई के अपने प्रोजेक्ट–
8.योजनाओं की संख्या–
9.(अ) सामाजिक संरक्षा–
(ब) रोजगार सृजन से सम्बंधित–
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाएं–
(द) लाभार्थियों की संख्या–
10.वर्ष के दौरान कर, रेटस डयूटी चंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि–
11.वर्ष के दौरान कुल व्यय– आय-व्यय विवरण के अनुसार
(अ) सामान्य–
(ब) योजनाओं पर(प्रत्येक योजना पर अलग–अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।
12.क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया–

प्रारूप–2 (II) अ

विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना		अन्य विवरण
	स्थापना	गै0स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य / समर्पित	अवशेष	आधिक्य	अवशेष	
014-15	0	1125.78	0.00	0.00	3144.78	3588.53	0.00	0.00	0.00	682.03	0.00
015-16	0	682.03	0.00	0.00	495.72	861.80	0.00	0.00	0.00	315.95	0.00
016-17	0	315.95	0.00	0.00	1027.38	1006.08	0.00	0.00	0.00	337.25	0.00
017-18	0	337.25	0.00	0.00	945.68	710.10	0.00	2.99	0.00	572.83	0.00

लेखो पर टिप्पणीः-

1. लेखों का रख रखाव निर्धारित प्रारुप के अनुरुप न बनाना।
2. वर्ष 2015-16 के पश्चात तुलनपत्र नहीं बनाया जा रहा था।
3. वर्ष के अन्त मे एक बडी धनराशि का अवशेष रहना जिससे तात्पर्य है कि समयान्तर्गत धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त नहीं को जा रही हैं।

विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5	5
1	प्रारम्भिक अवशेष	1125.78	682.03	315.95	337.25
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	3144.78	495.72	1027.38	945.68
3	क–राज्यांश	184.71	26.94	4.56	5.86
4	ख–केन्द्रांश	2960.07	468.78	1022.82	939.82
5	ग–अन्य निजी आय	0	0	0	0
6	व्यय	3588.53	861.80	1006.08	710.10
7	अवशेष	682.03	315.95	337.25	572.83

डी०आर०डी०ए० कार्यालय पिथौरागढ़ का 2014-15 से 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) आय-व्यय का विवरण

	माह	2014.15				2015-16				2016.17				2017.18				अवशेष
		प्रारंभिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	
1	एन०आर०एल०एम०	7.01	2.54	9.55	2.70	6.85	42.99	49.84	24.58	25.26	36.95	62.21	62.20	0.01	107.20	107.21	74.59	32.62
2	इन्दिरा आवास योजना	823.81	1836.74	2660.55	2345.55	315.00	43.38	358.38	357.90	0.48	98.30	98.78	98.29	0.49	18.12	18.61	18.00	0.61
3	इ०आ०यो०(विशेष परि०)	0.00	925.74	925.74	921.94	3.80	91.63	95.43	95.40	0.03	32.15	32.18	31.95	0.23	28.58	28.81	28.58	0.23
5	इन्दिरा आवास योजा प्रशा०मद	55.02	17.74	72.76	37.43	35.33	1.19	36.52	27.71	8.81	1.63	10.44	10.04	0.40	1.65	2.05	0.15	1.90
8	सांसद निधि	141.82	50.44	192.26	111.18	81.08	215.76	296.84	119.82	177.02	680.52	857.54	668.31	189.23	697.87	887.10	486.53	400.57
9	प्रधानमंत्री आवास यो०-ग्रा०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60	127.60	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00
10	पी०एम०ए०वाई०-ग्रा०प्रशा०मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	5.18	0.33
11	इ०आ०यो०(विशेष परि०)प्रशा	27.00	9.46	36.46	30.72	5.74	0.15	5.89	5.56	0.33	0.01	0.34	0.32	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
12	बी०पी०एल०सै० पर्वेक्ष	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	1.49	3.88	0.19	4.07	0.00	4.07	0.08	4.15	0.00	4.15
13	सांसद निधि(विशेष परि०)	1.00	112.04	113.04	80.69	32.35	73.68	106.03	12.78	93.25	45.47	138.72	0.00	138.72	2.81	141.53	13.13	128.40
		1055.66	2960.07	4015.73	3530.21	485.52	468.78	954.30	645.24	309.06	1022.82	1331.88	998.71	333.17	939.82	1272.99	704.16	568.83

डी0आर0डी0ए0 कार्यालय पिथौरागढ का 2014–15 से 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)आय–व्यय का विवरण

माह	2014.15				2015–16				2016.17				2017.18				अवशेष
	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष मे प्राप्त	योग	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष मे प्राप्त	योग	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष मे प्राप्त	योग	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष मे प्राप्त	योग	व्यय	
एन0आर0एल0एम0	7.01	2.54	9.55	2.70	6.85	42.99	49.84	24.58	25.26	36.95	62.21	62.20	0.01	107.20	107.21	74.59	32.62
इन्दिरा आवास योजना	823.81	1836.74	2660.55	2345.55	315.00	43.38	358.38	357.90	0.48	98.30	98.78	98.29	0.49	18.12	18.61	18.00	0.61
इ0आ0यो0(विशेष परि0)	0.00	925.74	925.74	921.94	3.80	91.63	95.43	95.40	0.03	32.15	32.18	31.95	0.23	28.58	28.81	28.58	0.23
केडिट कम सब्सिडी योजना	0.10	16.07	16.17	16.00	0.17	16.01	16.18	16.00	0.18	0.01	0.19	0.10	0.09	0.27	0.36	0.00	0.36
इन्दिरा आवास योजा प्रशा0मद	55.02	17.74	72.76	37.43	35.33	1.19	36.52	27.71	8.81	1.63	10.44	10.04	0.40	1.65	2.05	0.15	1.90
उत्तराखड पिछडा क्षे0वि0नि0	70.02	168.64	238.66	42.32	196.34	6.13	202.47	196.09	6.38	0.00	6.38	2.50	3.88	0.00	3.88	3.88	0.00
इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	4.47	0.33	4.55	4.88	4.77	0.11	5.59	5.70	2.06	3.64
सांसद निधि	141.82	50.44	192.26	111.18	81.08	215.76	296.84	119.82	177.02	680.52	857.54	668.31	189.23	697.87	887.10	486.53	400.57
प्रधानमंत्री आवास यो0–ग्रा0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60	127.60	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00
पी0एम0ए0वाई0–ग्रा0प्रशा0मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	5.18	0.33
इ0आ0यो0(विशेष परि0)प्रश	27.00	9.46	36.46	30.72	5.74	0.15	5.89	5.56	0.33	0.01	0.34	0.32	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
बी0पी0एल0लैड पर्चेज	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	1.49	3.88	0.19	4.07	0.00	4.07	0.08	4.15	0.00	4.15
सांसद निधि(विशेष परि0)	1.00	112.04	113.04	80.69	32.35	73.68	106.03	12.78	93.25	45.47	138.72	0.00	138.72	2.81	141.53	13.13	128.40
	1125.78	3144.78	4270.56	3588.53	682.03	495.72	1177.75	861.80	315.95	1027.38	1343.33	1006.08	337.25	945.68	1282.93	710.10	572.83

विगत वर्षों केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2014...2015	एन0आर0एल0एम0	7.01	2.54	9.55	2.70	6.85
	इन्दिरा आवास योजना	823.81	1836.74	2660.55	2345.55	315.00
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)	0.00	925.74	925.74	921.94	3.80
	केडिट कम सब्सिडी योजना	0.10	16.07	16.17	16.00	0.17
	इन्दिरा आवास योजा प्रशा0मद	55.02	17.74	72.76	37.43	35.33
	उत्तराखंड पिछडा क्षे0वि0नि0	70.02	168.64	238.66	42.32	196:34
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सांसद निधि	141.82	50.44	192.26	111.18	81.08
	प्रधानमंत्री आवास यो0–ग्रा0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्री0एम0ए0वाई0–ग्रा0प्रशा0मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)प्रश	27.00	9.46	36.46	30.72	5.74
	बी0पी0एल0लैड पर्चेज	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37
	सांसद निधि(विशेष परि0)	1.00	112.04	113.04	80.69	32.35
		1125.78	3144.78	4270.56	3588.53	682.03

प्रारूप–2 (11) स

विगत वर्षों केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2015–16	एन0आर0एल0एम0	6.85	42.99	49.84	24.58	25.26
	इन्दिरा आवास योजना	315.00	43.38	358.38	357.90	0.48
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)	3.80	91.63	95.43	95.40	0.03
	केडिट कम सब्सिडी योजना	0.17	16.01	16.18	16.00	0.18
	इन्दिरा आवास योजा प्रशा0मद	35.33	1.19	36.52	27.71	8.81
	उत्तराखंड पिछड़ा क्षे0वि0नि0	196.34	6.13	202.47	196.09	6.38
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	4.80	4.80	4.47	0.33
	सांसद निधि	81.08	215.76	296.84	119.82	177.02
	प्रधानमंत्री आवास यो0 ग्रा0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्री0एम0ए0वाई0–ग्रा0प्रशा0मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)प्रश	5.74	0.15	5.89	5.56	0.33
	बी0पी0एल0लैड पर्चेज	5.37	0.00	5.37	1.49	3.88
	सांसद निधि(विशेष परि0)	32.35	73.68	106.03	12.78	93.25
		682.03	495.72	1177.75	861.80	315.95

प्रारूप–2 (11) स

विगत वर्षों केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2016–17	एन0आर0एल0एम0	25.26	36.95	62.21	62.20	0.01
	इन्दिरा आवास योजना	0.48	98.30	98.78	98.29	0.49
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)	0.03	32.15	32.18	31.95	0.23
	केडिट कम सब्सिडी योजना	0.18	0.01	0.19	0.10	0.09
	इन्दिरा आवास योजा प्रशा0मद	'8.81	1.63	10.44	10.04	0.40
	उत्तराखंड पिछडा क्षे0वि0नि0	6.38	0.00	6.38	2.50	3.88
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.33	4.55	4.88	4.77	0.11
	सांसद निधि	177.02	680.52	857.54	668.31	189.23
	प्रधानमंत्री आवास यो0–ग्रा0	0.00	127.60	127.60	127.60	0.00
	प्री0एम0ए0वाई0–ग्रा0प्रशा0मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)प्रश	0.33	0.01	0.34	0.32	0.02
	बी0पी0एल0लैड पर्चेज	3.88	0.19	4.07	0.00	4.07
	सांसद निधि(विशेष परि0)	93.25	45.47	138.72	0.00	138.72
		315.95	1027.38	1343.33	1006.08	337.25

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2017...18	एन0आर0एल0एम0	0.01	107.20	107.21	74.59	32.62
	इन्दिरा आवास योजना	0.49	18.12	18.61	18.00	0.61
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)	0.23	28.58	28.81	28.58	0.23
	क्रेडिट कम सब्सिडी योजना	0.09	0.27	0.36	0.00	0.36
	इन्दिरा आवास योजा प्रशा0मद	0.40	1.65	2.05	0.15	1.90
	उत्तराखंड पिछड़ा क्षे0वि0नि0	3.88	0.00	3.88	3.88	0.00
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.11	5.59	5.70	2.06	3.64
	सांसद निधि	189.23	697.87	887.10	486.53	400.57
	प्रधानमंत्री आवास यो0–ग्रा0	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00
	पी0एम0ए0वाई0–ग्रा0प्रशा0मद	0.00	5.51	5.51	5.18	0.33
	इ0आ0यो0(विशेष परि0)प्रश	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
	बी0पी0एल0लैड पर्चेज	4.07	0.08	4.15	0.00	4.15
	सांसद निधि(विशेष परि0)	138.72	2.81	141.53	13.13	128.40
		337.25	945.68	1282.93	710.10	572.83

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 तुलन पत्र एवं उपोयगिता प्रमाणपत्रों में रु. 53.46 की भिन्नता।

सांसद निधि से सम्बन्धित अभिलेखों रोकड़ बही, अनुदान पंजिका तुलन पत्रों एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जांच में पाया गया कि विभाग को मा. सांसद की संसद निधि हेतु वर्ष 2016-17 से जनपद देहरादून के स्थान पर शासन द्वारा जिलाधिकारी के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। जिसके कारण सम्बन्धित विभाग को मा. सासंद की अनुदान राशि को अन्य जनपदों में अवमुक्त करने का दायित्व दिया गया था। इस से पूर्व उक्त निधि हेतु DRDA हरिद्वार तथा तत्पश्चात DRDA देहरादून को नोडल एजेन्सी नामित किया गया था।

उक्त के क्रम में कार्यालय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ को, देहरादून ग्राम्य विकास अभिकरण से वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तक की शेष धनराशि के विवरण से सम्बन्धित तुलन पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें उक्त निधि से सम्बन्धित विभिन्न जनपदों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा दिया गया था। परन्तु देहरादून एंव अन्य जनपदों द्वारा प्रेषित जनपदीय स्तर के उपयोगिता प्रमाणपत्रों में निम्न विवरण अनुसार भिन्नता थीः-

क्र.सं.	जनपद का नाम	तुलन पत्र के अनुसार राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार राशि	धनराशि (लाखों में) अन्तर
1	नैनीताल	3.00	7.48	4.48
2	पौड़ी	14.50	15.39	0.89
3	देहरादून	4.82	52.20	47.38
4	टिहरी	0.75	0.04	0.71
			योग	53.46/-

जिसके स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा देहरादून एवं अन्य जनपदों को अवगत कराया गया था परन्तु देहरादून द्वारा रुपये 52.20 लाख पृथक से बैंक खाते मे रखने की बात सही है परन्तु तुलन पत्र में उक्त धनराशि सम्मिलित न करने हेतु किसी प्रकार का स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी प्रकार अन्य जनपदों से भी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था।

इस सम्बन्ध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि सम्बन्धित जनपदों को भिन्नता के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है। तथा कार्यवाही जारी है उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि जनवरी 2018 लगभग 18 माह व्यतीत होने के पश्चात भी न तो देहरादून जनपद द्वारा संशोधित तुलन पत्र/ लेखों मे संशोधन/सुधार किया गया है तथा न ही भिन्नता से सम्बन्धित किसी

प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण उक्त सांसद निधि से सम्बन्धित लेखो की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही थी। इसके अतिरिक्त DRDA देहरादून द्वारा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 तक प्राप्त एवं व्यय/वापस की गई धनराशि का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिसके कारण 4 महीनों की धनराशि से सम्बन्धित आंकलन/वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है।

प्रकरण शासन की संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-2 रु. 4.15 लाख की धनराशि का अवरुद्ध रहना।

इन्दिरा आवास योजना जो कि वर्तमान मे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सभी को आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा गया हैं।

उक्त के क्रम मे भूमि विहीन परिवारों को भूमि क्रय किए जाने हेतु निर्मित निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को रु. 35000/- प्रत्येक परिवार की दर से भूमि क्रय हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में रुपये 5.37 लाख (रु. 3.12+2.25) की धनराशि विभिन्न विकास खण्डो मे आवंटन हेतु अवमुक्त की गई थी। पिथौरागढ़ जनपद द्वारा 14 अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवार तथा 01 अनुसूचित जनजाति भूमिहीन परिवारों का चयन किया गया था। परन्तु विभाग द्वारा जनवरी 2018 तक केवल 05 लाभार्थियों को रु. 1.49 लाख का भुगतान किया गया था। जिसमें विकास खण्ड केरीनाग को रु. 1.05 लाख, वि.ख. मुनस्यारी को एक लाभार्थी को रु. 9000/- तथा विकास खण्ड धारचूला मे 01 को रु. 35000/- का भुगतान भूमि क्रय हेतु किया गया था। शेष धनराशि रुपये 3.88 लाख तथा उस पर अर्जित ब्याज रु. 0.27 लाख कुल रु. 4.15 लाख दो वर्षो के पश्चात भी विभाग के पास अवरुद्ध थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि भूमिहीन परिवार उपलब्ध होने पर धनराशि व्यय की जाएगी। जिसकी सूचना विकास खण्डों से मांगी गई है तथा उपलब्ध न होने पर धनराशि शासन को वापस कर दी जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जब लाभार्थी उपलब्ध नही थे तो 15 लाभार्थियो का चयन किस आधार पर किया गया था तथा धनराशि का सम्पर्ण लम्बी अवधि के पश्चात भी नही किया गया है जिसके कारण अनावश्यक रुप से उक्त धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 2- रु. 205.60 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरान्त भी लक्ष्य की पूर्ति न होना।

वर्ष 2016-17 मे इन्दिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत आवास हेतु पात्र लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC-2011) को सर्वे को चयनित सूची से किया जाएगा।

योजनान्तर्गत आवास निर्माँण के लिए 25 वर्ग मीटर भूमि का मानक निर्धारित किया गया है। लाभार्थी परिवार द्वारा न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में एक कक्ष किचन का निर्माण किया जाएगा। तथा एक शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। आवासों के निर्माण हेतु प्रति इकाई की धनराशि रु. 130000/- केन्द्रीय एवं राज्यांश (90:10) के अनुपात में अनुमन्य है। प्रथम किस्त में रुपये 60000/- द्वितीय किस्त रुपये 40000/- एंव तृतीय किस्त रुपये 30000/- निर्धारित की गई थी।

इकाई की उपरोक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि वर्ष 2016-17 में जनपद स्तर से कुल 248 लाभार्थियों का चयन आवास निर्माण हेतु किया गया था। जिसके कारण वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में (रु. 127.60 एवं रु. 78.00 लाख) कुल रु.205.60 लाख की धनराशि आवंटित थी तथा पृथम किस्त रुपये 6000/- 112 परिवारों को भुगतानित की गई थी। रु. 10000/- की धनराशि 128 परिवारों को तथा रुपये 130000/- की धनराशि 8 परिवारों को भुगतान किया गया था। इस प्रकार 112 परिवारों को कुल रु. 67.20 लाख, 128 परिवारों को 128.00 लाख तथा 8 परिवारों को रुपये 10.40 लाख कुल 205.60 लाख का भुगतान किया गया है। योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण सम्बन्धित वर्षों में ही किया जाना था। परन्तु जनवरी 2018 तक 248 के सापेक्ष केवल 08 परिवार ही पूर्ण थे। तथा 240 परिवारों से सम्बन्धित आवास अपूर्ण थे। जो कि केवल 03 प्रतिशत है। इस प्रकार योजना का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण आवास निर्माण मे विलम्ब हुआ है। तथा समस्त विकास खण्डों की आवास निर्माण हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि आवास पूर्ण होने पर ही लाभार्थी की अन्तिम भुगतान किया जा सकता था। तथा आवासों की उसी वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य था तथा 128 परिवारों को द्वितीय किस्त का भुगतान करने के पश्चात भी केवल 8 ही परिवार पर्ण किए गए थे। जिसके कारण योजना का लाभ सम्बन्धित परिवारों को नहीं मिल पाया हैं।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 3- ब्याज की राशि रु. 45.08 लाख की धनराशि राजकोष मे जमा न करना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 347/वि.अ./तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त धनराशइ (जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र पंचायत विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि आदि) लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण बैंको मे जमा रहती है तथा जिस पर बैंकों से ब्याज भी अर्जित होता है ऐसी प्राप्त कुल धनराशि को राजकोष में जमा करने की कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त राशि को राजकोष में लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियाँ में राजकोष में जमा किया जाना हैं।

जिला ग्राम्य विकास में सांसद निधि मद के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त निधि पर बैंकों से वर्ष 2017-18 तक (सितम्बर 2017) रुपये 45.08 लाख की ब्याज की धनराशि अर्जित की गई थी। जिसको राजकोष में जमा नही किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि सासंद निधि MPLAD हेतु भारत सरकार द्वारा 2012 मे निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार सासंद निधि से प्राप्त ब्याज योजना का ही पार्ट है तथा जिससे माननीय सासंद द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय किया जाता हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वर्ष 2012 मे निर्गत दिशा निर्देशों के पश्चात उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2013 (जनवरी 2013) मे ही ब्याज की राशि को राजकोष मे जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 4- रुपये 2.98 करोड़ की धनराशि को गत 3 वर्षो से अवरुद्द रखना।

सासंद निधि योजना एवं विशेष सासंद निधि परियोजना के अन्तर्गत विभाग में गत 3 वर्षो से उक्त मदों में क्रमशः रुपये 1.60 करोड़ एवं 1.38 करोड़ कुल रुपये 2.98 करोड़ अवशेष पड़े है जबकि उक्त प्राप्त बजट को उसी वित्तीय वर्ष में व्य्य करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त प्राप्त बजट को सम्बन्धित वर्षो में व्यय न करके आगामी वर्षो में व्यय किया जा रहा है और प्रत्येक आगामी वर्ष में प्राप्त बजट को अवरुद्द किया जा रहा हैं। जिससे कि निर्माण कार्य योजनाएं समय पर पूर्ण नही हो पाती है। साथ ही सांसद निधि (विशेष परियोजना) के अन्तर्गत रुपये 1.38 करोड़ गत 3 वर्षो से अवरुद्द पड़े है उक्त प्राप्त विशेष बजट हेतु क्या निर्माण कार्य योजना थी विभाग द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही उक्त धनराशि को समर्पित ही किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्ववारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया अतः उक्त धनराशि की अवरुद्द रखने का प्रमाण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1 दो वर्षं की अवधि के पश्चात भी 04 आवासों का अपूर्ण रहना।

इन्दिरा आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना विशेष परियोजना केन्द्र पोषित योजना है जिसका मूल उद्देश्य आवासही न एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जिनका चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाएगा को भूमि क्रय आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। नये भवन से तात्पर्य है कि न्यूनतम 20 मीटर की भूमि उपलब्ध ही भूमि विहीन निधियों को भूमि क्रय हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत दी जा सकती है। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 मे जनपद के 08 विकास खम्डों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 125 आवासों/लाभार्थियो का चयन किया गया था। आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों को दो किस्तों में रु. 45000 व रु. 30000 का भुगतान किया जाना था। परन्तु जनवरी 2018 तक केवल 121 परिवारों के आवास ही पूर्ण किए गए थे। परन्तु 04 आवासों को पृथक किस्त का भुगतान करने के पश्चात न तो आवास पूरे किए गए थे तथा न ही द्वितीय किस्तो रु. 120000/- का भुगतान किया गया था। जिसके कारण चार परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि विकास खण्ड गंगोलीहाट एवं धारचूला से 04 आवासों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे जिसके कारण दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया हैं।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के भुगतान के 09 माह पश्चात द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाना चाहिए था। तथा 18 माह मे आवासों का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए था। 04 आवासों का पूर्ण न होना विभाग की योजना को पूर्ति के शिथिलता दर्शाता है। तथा प्रथम किस्त के रुप मे किए गए भुगतान किए गए धनराशि के पश्चात भी योजना का लाभ निर्धन परिवारों को नहीं मिल पाया हैं।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं

भाग-III

(क) परिचयात्मकः कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ के माह 2/2014 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.एल. शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21/01/2018 से 02/2/2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

(ख)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
19/2011-12	01, 02	01,02,03,04	01,02,03,04
176/2013-14	0	01,02,03,04	0

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
19/2011-12		शून्य		
176/2013-14		शून्य		

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य
(ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री डी.डी.पन्त	परियोजना निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को सीधे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय